**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1232**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**घरेलू नौकरों के रूप में लगे बच्चे**

**1232. श्री सन्तियुस कुजूर:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय बागान में काम करने वाले जनजातियों एवं आर्थिक रूप से पिछडे अन्य वर्गों के असम के बच्चों को विशेषतया महानगरों तथा बडे शहरों में रोजगार प्रदान करने वाली एजेंसियों के एजेंटों द्वारा घरेलू नौकरों, आदि के लाभप्रद रोजगार के प्रस्ताव दिए जाते हैं और फिर आमतौर पर उनके नियोक्ताओं द्वारा उन्हें उत्पीड़ित, शोषित तथा प्रताड़ित किया जाता है;

(ख) : यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आई घटनाओं/मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) : क्या सरकार घरेलू नौकरों के रूप में लगे अवयस्कों की स्थितियों का राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण कराएगी; और

(घ) : दुष्ट नियोक्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवई की जा रही है तथा सरकार द्वारा घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत अल्प-वयस्कों को मुक्त कराने एवं उनके पुनर्वास हेतु कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) और (ख) : श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है ।**

**(ग) और (घ) : बाल श्रम(निवारण और विनियमन) अधिनियम, 1986 14 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों के 18 व्‍यवसायों और 65 प्रकार्यों, जिनमें घरेलू नौकर भी शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाता है । कोई व्‍यक्‍ति, जो ऐसे किसी व्‍यवसाय या प्रकार्य में, जिसमें बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्‍चों का नियोजन प्रतिबंधित है । बच्‍चों से काम करवाता है, वह कारावास और/अथवा अर्थदण्‍ड के साथ दण्‍ड का भागी होगा । श्रम और रोज़गार मंत्रालय जोखिमपूर्ण व्‍यवसायों और प्रकार्यों में कार्यरत बच्‍चों को निकालने तथा औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्‍यधारा में उन्‍हें लाने के मुख्‍य उद्देश्‍य के साथ वर्ष 1988 से बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्‍ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएचपी) भी कार्यान्‍वित कर रहा है । इस स्‍कीम के तहत, जिला स्‍तर पर जोखिमपूर्ण व्‍यवसायों और प्रकार्यों में काम कर रहे बच्‍चों को चिन्‍हित करने के लिए परियोजना सोसायटियां द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण करवाए जाते हैं । 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के छुड़ाए गए/निकाले गए बच्‍चों को एनसीपीएच प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित कराया गया है, जहां पर उन्‍हें सेतु शिक्षा, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, मध्‍याह्न भोजन, वजीफा इत्‍यादि प्रदान किया जाता है ।**

\*\*\*\*\*